

**बिहार सरकार
सहकारिता विभाग**

पत्रांक...../पटना, दिनांक.....
03/नोप्रशि0-सेमिनार-01/2014

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय:— सहकारिता विभाग, बिहार सरकार द्वारा विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन एवं Best practices पर Pranav Motion Pictures, Ganga Palace, Grands Pallavi Court, J.C. Road, Patna-800004 द्वारा तैयार किये गये लघु Video निर्माण पर हुए व्यय रू० 6,19,500/- (छः लाख उन्नीस हजार पाँच सौ) मात्र का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश:— स्वीकृत

वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य योजना से विभागीय प्रचार-प्रसार अंतर्गत सहकारिता विभाग, बिहार सरकार द्वारा विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन एवं Best practices पर अंतराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य पर Pranav Motion Pictures, Ganga Palace, Grands Pallavi Court, J.C. Road, Patna-800004 द्वारा तैयार किये गये लघु Video निर्माण(Documentary film) पर हुए व्यय रू० 6,19,500/- (छः लाख उन्नीस हजार पाँच सौ) मात्र का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में निकासी एवं व्यय की स्वीकृति संसूचित की जाती है।

2. उक्त राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग संख्या-09, राज्य योजना मुख्य शीर्ष-2425-सहकारिता, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-105-सूचना एवं प्रचार, उपशीर्ष-0101-सूचना एवं प्रचार के लिए सहकारिता विभाग द्वारा व्यय, विपत्र कोड-09-2425001050101 विस्तृत शीर्ष-20-अन्य प्रशासनिक व्यय, विषय शीर्ष-02 कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार के अन्तर्गत विकलनीय होगी।
3. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के लिए प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे, जो राशि की निकासी CFMS के माध्यम से करेंगे तथा आहरित की गई राशि को NEFT/ RTGS के माध्यम से **Pranav Motion Pictures** पटना के **HDFC BANK, PATNA EXHIBITION ROAD, IFSC-HDFC0000186** के चालु खाता संख्या-01862000002362 में जमा करेंगे, इसके लिए महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
4. इस राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जायेगा, जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है। किसी अन्य मद में राशि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा। इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।
5. स्रोत पर अनुमान्य कटौती सुनिश्चित किया जाय।

~

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त, बिहार, पटना के पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.1998 एवं संकल्प संख्या-7245 दिनांक 26.09.2018 के पत्र का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही राशि की निकासी एवं व्यय करने में बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/अद्यतन अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

7. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहाकार की सहमति संचिका संख्या-03/नि0प्रशि0-सेमिनार-01/2014 के पृ0 सं0-46/टि. दिनांक 26.06.2025 को दी गई है।

8. इस राशि की स्वीकृति सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचिका संख्या-03/नि0प्रशि0-सेमिनार-01/2014 के पृ0 सं0-47/टि. दिनांक 04.07.2025 को दी गई है।

ह0/-

(अभय कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक.....509...../पटना, दिनांक 09/07/2025

03/नि0प्रशि0-सेमिनार-01/2014

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, नया सचिवालय बिहार, पटना को मुहरबन्द लिफाफे में।
2. वित्त विभाग, बिहार, पटना/निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को मूल अभिश्रव के साथ/संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल, पटना/Pranav Motion Pictures, Ganga Palace, Grands Pallavi Court, J.C. Road, Patna-800004/अवर सचिव, प्रशाखा-03 (बजट), सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।

1
15/7
08-07-2025

सरकार के अपर सचिव।